सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवम् पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 2(28)पंरावि/प्रशा.1/RRDS/संस्था/2010/3375 जयपुर, दिनांक 9/12/2021

–:आदेश:–

कार्मिक विभाग के ज्ञापन क्रमांक प.1(60)कार्मिक/क–3/जांच/2016 दिनांक 17.12.2020 द्वारा श्रीमती अभिलाषा शुक्ला, तत्कालीन विकास अधिकारी, पंचायत समिति भिनाय जिला अजमेर के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ कर कार्मिक विभाग के ज्ञापन दिनांक 17.12.2020 द्वारा आरोप पत्र व आरोप विवरण पत्र जारी किया गया।

कार्मिक विभाग द्वारा जारी ज्ञापन तामील हेतु श्रीमती शुक्ला को भिजवाये जाने पर श्रीमती शुक्ला द्वारा अवगत कराया गया कि उन्होंने अपना जवाब सीधे ही कार्मिक विभाग को दिनांक 8.3.2021 को भिजवा दिया है जिसकी छायाप्रति विभाग को जरिये मेल भिजवाई गई।

स्वेच्छा से अनुपस्थित रहने बाबत् आरोप के संबंध में कार्मिक विभाग द्वारा सीसीए नियम 16 के तहत विचाराधीन कार्यवाही के अन्तर्गत श्रीमती शुक्ला को ज्ञापन जारी कर जवाब देने हेतु उचित अवसर दिया गया था जिसके सन्दर्भ में श्रीमती शुक्ला द्वारा अपने जवाब में अंकित किया गया है कि अपरिहार्य पारिवारिक परिस्थितियों के कारण मैं विकास अधिकारी के पद पर कार्य करने में असमर्थ हूँ। इस बाबत् श्रीमती शुक्ला द्वारा अपना त्याग पत्र दिनांक 22.8.2017 को रजिस्टर्ड मेल द्वारा पंचायती राज विभाग को प्रेषित कर दिया गया था। इसलिए मेरा त्याग पत्र स्वीकार कर मुझे अनुग्रहित करें। जिससे यह स्पष्ट है कि श्रीमती शुक्ला उनपर लगाये गये आरोपों से सूचित है।

कार्मिक विभाग द्वारा श्रीमती शुक्ला के प्रकरण में अन्तिम क्या कार्यवाही की गई? बाबत जानकारी चाही जाने पर उनसे 2 अ.शा. टीप दिनांक 28.7.2021 विभाग को प्राप्त हुई। जिसमें प्रथम टीप में कार्मिक विभाग ने श्रीमती शुक्ला के त्याग पत्र पर प्रशासनिक विभाग द्वारा क्या निर्णय लिया गया बाबत् जानकारी भिजवाने हेतु लिखा गया तथा द्वितीय टीप में कार्मिक विभाग द्वारा अंकित किया कि श्रीमती शुक्ला द्वारा दिनांक 22.8.2017 को त्याग पत्र स्वीकार करने बाबत लेख किया जा चुका है, श्रीमती शुक्ला पर आरोप भी अनुपस्थित रहने के है और वे लगातार 6 वर्ष से अनुपस्थित चल रही है। अतः विभाग RSR 86(4) के तहत कार्यवाही कर सकता है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि श्रीमती अभिलाषा शुक्ला, तत्कालीन विकास अधिकारी पंचायत समिति भिनाय जिला अजमेर ने राजस्थान ग्रमीण विकास राज्य सेवा के पद पर रहने के बावजूद राज्य सरकार के आदेशों/निर्देशों की पालना नहीं की। श्रीमती शुक्ला दिनांक 7.10.2014 से बिना स्वीकृति के स्वेच्छा से अनुपस्थित है। कार्मिक विभाग की अ.शा. टीप दिनांक 28.7.2021 द्वारा विभाग RSR 86(4) के तहत कार्यवाही कर सकता की राय के आधार पर श्रीमती शुक्ला के विरूद्ध दिनांक 7.10.2014 से निरन्तर राज्य सेवा से स्वेच्छा से अनुपस्थित रहने एवं राज्यादेशों/निर्देशों की अवहेलना करने का आरोप पूरी तरह से प्रमाणित होता है।

श्रीमती अभिलाषा शुक्ला, आरआरडीएस, के विरूद्ध सिद्ध आरोपों के लिए राजस्थान सेवा नियमों के नियम 86(4) के अन्तर्गत अनुपस्थित दिनांक 7.10.2014 से राज्य सेवा से पद त्याग किया हुआ समझा जाने **deemed to have resigned from service** के दण्ड से दण्डित करने का निर्णय लिया गया है।

अतः **श्रीमती अभिलाषा शुक्ला**, आरआरडीएस, तत्कालीन विकास अधिकारी पंचायत समिति भिनाय जिला अजमेर के विरूद्ध सिद्ध आरोपों के लिए राजस्थान सेवा नियमों के नियम 86(4) के अन्तर्गत अनुपस्थिति दिनांक 7.10.2014 से राज्य सेवा से पद त्याग किया हुआ **समझा** जाने **deemed to have resigned from service** के दण्ड से दण्डित किया जाकर इनका नाम राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा से पृथक किया जाता है।

(पी.सी. किशन)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, पंचायती राज, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास, राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, आयुक्त, मनरेगा, राजस्थान जयपुर।
6. संयुक्त सचिव (एल.टी.) मा. मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान जयपुर।
7. जिला कलक्टर, सबंधित।
8. अति. / मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद संबंधित।
9. विकास अधिकारी पंचायत समिति संबंधित।
10. संबंधित अधिकारी को पालनार्थ।
11. ए.सी.पी मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
12. संबंधित जांच लिपिक, मुख्यालय, पंचायती राज विभाग।
13. आदेश पत्रावली।

(डॉ. प्रवीण कुमार)
उपायुक्त एवं शासन उप सचिव (द्वितीय)